भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *305
21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम

***305. डॉ. दग्गुबाती पुरंदेश्वरी:**

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में तपेदिक के मामलों और मृत्यु दर को कम करने के मामले में राष्ट्रीय तपेदिक उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) के तहत कोई महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार की तपेदिक के मामलों में निरंतर कमी लाने के लिए कोई योजना है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या देश में कमजोर आबादी में तपेदिक के सक्रिय मामलों का पता लगाने में तेजी लाने के लिए विशिष्ट कार्य किए जा रहे हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) आयुष्मान आरोग्य मंदिर जैसी विभिन्न स्वास्थ्य पहलों के एकीकरण से तपेदिक की जांच और उपचार सेवाओं में किस प्रकार सुधार होने की उम्मीद है; और
(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने का विचार है कि "निक्षय' पोषण योजना के माध्यम से तपेदिक के सभी पात्र रोगियों तक पोषण सहायता प्रभावी रूप से पहुंच सके?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री
(श्री जगत प्रकाश नड्डा)

(क) से (ङ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

21 मार्च, 2025 के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न सं.*305 के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) से (ङ) भारत सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के तत्वावधान में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम (एनटीईपी) कार्यान्वित किया है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन की वैश्विक टीबी रिपोर्ट, 2024 के अनुसार, भारत में टीबी की व्याप्तता दर 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 237 थी जो 2023 में प्रति लाख जनसंख्या पर 195 रह गई है जो 17.7% की गिरावट दर्शाती है, जो वैश्विक गिरावट से दोगुनी से भी अधिक है, जबकि टीबी के कारण होने वाली मृत्यु 2015 में प्रति लाख जनसंख्या पर 28, 2023 में 21.4% घटकर जो प्रति लाख जनसंख्या पर 22 रह गई है।

टीबी के मामलों में कमी लाने और इस गिरावट को कायम रखने के लिए सरकार द्वारा सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में उठाए गए कदम निम्नानुसार हैं:

- राज्य और जिला विशिष्ट कार्यनीतिक योजनाओं के माध्यम से टीबी के उच्च रोगभार वाले क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप।
- टीबी रोगियों को नि:शुल्क दवाओं और नैदानिक सेवाओं का प्रावधान।
- अतिसंवेदनशील आबादी के बीच टीबी के मामलों की गहन खोज।
- आयुष्मान आरोग्य मंदिर में टीबी जांच और उपचार सेवाओं का विकेंद्रीकरण।
- टीबी मामलों की अधिसूचना और प्रबंधन के लिए प्रोत्साहन के साथ निजी क्षेत्र की भागीदारी।
- उप-जिला स्तर तक मॉलक्यूलर नैदानिक प्रयोगशालाओं का विस्तार।
- उपचार की पूरी अवधि के लिए पोषण सहायता के रूप में प्रति रोगी प्रति माह 1,000 रुपये देने की नि-क्षय पोषण योजना।
- तिरस्कार को कम करने, सामुदायिक जागरूकता बढ़ाने और स्वास्थ्य आकांक्षी व्यवहार को बढ़ावा देने के लिए गहन सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) संबंधी क्रियाकलाप।
- टीबी उन्मूलन के लिए संबंधित मंत्रालयों के प्रयासों और संसाधनों का अभिसरण।
- टीबी रोगियों के संपर्क में आने वाले व्यक्तियों और अतिसंवेदनशील आबादी के लिए टीबी निवारक उपचार का प्रावधान।
- नि-क्षय पोर्टल के माध्यम से अधिसूचित टीबी मामलों की ट्रैकिंग।
- नि-क्षय मित्र पहल के तहत टीबी रोगियों और संपर्क में आने वाले पारिवारिक सदस्यों को अतिरिक्त पोषण सहायता का प्रावधान।

सरकार ने 33 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में चिन्हित 347 प्राथमिकता वाले जिलों में 100 दिवसीय टीबी उन्मूलन अभियान शुरू किया है, ताकि टीबी के छूटे हुए मामलों का पता लगाया जा सके, टीबी से होने वाली मौतों को कम किया जा सके और नए मामलों को रोका जा सके। जनभागीदारी के हिस्से के रूप में, संबंधित मंत्रालयों के सहयोग से सरकार के समग्र दृष्टिकोण के लिए प्रयास किए गए हैं। इसके अलावा, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज संगठनों और स्थानीय समुदाय के स्वयंसेवकों को कमजोर आबादी को लाभबंद करने के लिए प्रेरित किया गया है।

एनएचएम के तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिर में 12 सेवा पैकेज के माध्यम से व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या प्रदान की जाती है। सामुदायिक स्तर पर इन कार्यकलापों ने कमजोर आबादी की पहचान करने और टीबी जांच, निदान और उपचार सेवाओं को बढ़ाने में योगदान किया है।

सरकार ने टीबी रोगियों को पोषण सहायता के रूप में प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) के माध्यम से अप्रैल 2018 में निक्षय पोषण योजना (एनपीवाई) शुरू की है। दिनांक 1 नवंबर, 2024 से टीबी रोगियों को उपचार की पूरी अवधि के लिए एनपीवाई प्रोत्साहन राशि 500 रुपये से बढ़ाकर 1,000 रुपये प्रति माह कर दी गई है। सरकार समय-समय पर इस पहल की समीक्षा करती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी पात्र टीबी रोगियों तक पोषण सहायता पहुंचे।

*****